**कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
**पत्रांक–1888 /11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 13 ,2025**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषयः– साउथ ईस्ट यूपी पॉवर ट्रांसमिशन लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित 1.5364 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 238 वृक्षों के पातन, कन्नौज में प्रभावित 0.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 8 वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित 0.8155 हे0 संरक्षित एवं 3.5583 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 113 वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित 0.6813 हे0 संरक्षित एवं 8.7003 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1502 वृक्षों के पातन अर्थात 3.3532 हे0 संरक्षित एवं 12.2586 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 15.6118 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1861 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–873/11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, दिनांक 29.09.2023 एवं आपका पत्रांक–2713/14–10–4, दिनांक 30.12.2024

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी कमियों का निराकरण कर ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त प्रयोक्ता एजेंसी एवं आपके स्तर पर पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः–

**<u>ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–</u>**

1. मैनपुरी, कानपुर एवं उन्नाव से सम्बन्धित वन प्रभागों की के0एम0एल0 का क्षेत्रफल Segment Area में फीड किये गये क्षेत्रफल से भिन्न है। अतः सही के0एम0एल0 फाइल, Segment Area में सही क्षेत्रफल सहित अपलोड करें तथा सभी वन प्रभागों की के0एम0एल0 फाइल में गैर वनभूमि को भी Red colour से दर्शाते हुये Continuty में पूर्ण के0एम0एल0 फाइल अपलोड करें।
2. मैनपुरी, कानपुर एवं उन्नाव से सम्बन्धित वन प्रभागों की ऑनलाइन अपलोड किया गया प्रस्तावित वनभूमि की Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet त्रुटिपूर्ण है। अतः उपरोक्त बिन्दु सं0–1 के अनुसार संशोधित Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet यथास्थान पर अपलोड करें।
3. ऑनलाइन के क्रमांक–D(i) में अपलोड किया गया परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है।
4. ऑनलाइन अपलोड किये गये सभी वन प्रभागों में प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट पर शीर्षक, लीजेन्ड तथा विद्युत पारेषण लाइन का संरेखण स्पष्ट नहीं है।
5. ऑनलाइन अपलोड किये गये गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज व कानपुर द्वारा चिन्हित नहीं है तथा प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव द्वारा सत्यापित एवं चिन्हित अपलोड नहीं है।
6. तीन वैकल्पिक रूट्स का तुलनात्मक जस्टीफिकेशन व के0एम0एल0 फाइल अपलोड नहीं है।
7. उन्नाव एवं कानपुर वन प्रभाग में प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष वर्तमान बाजार दर पर वनभूमि के मूल्य के बराबर प्रीमियम और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
8. ऑनलाइन के क्रमांक– B-2.3, Village wise breakup एवं क्रमांक– B-2.4, Component wise breakup में गैर वनभूमि का Total गलत है।
9. ऑनलाइन के क्रमांक– D(a), Copy of map indicating location of alternative examined में अपलोड टोपोशीट पर शीर्षक गलत अंकित है।
10. Additional Inforamtion Detail में अपलोड ई0डी0एस0 उत्तर में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट करें।
11. कानपुर वन प्रभाग के वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर संशोधित FRA प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।
12. Additional Inforamtion Detail में अपलोड न्यूनतम वनभूमि प्रमाण पत्र में उन्नाव वन प्रभाग में प्रभावित आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।

**कन्नौज वन प्रभागः—**

1. ऑनलाइन अपलोड किये गये पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन में मंहगाई दर त्रुटिपूर्ण ली गयी है। अतः सही महंगाई दर के अनुसार संशोधित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड करें।
2. सी0ए0 समेकित रूप से सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित है। उक्त सूचना उन्नाव वन प्रभाग द्वारा भरी जानी है। अतः क्रमांक—13(i),(ii),(iii),(iv) एवं (v) में अपलोड अभिलेख व डाटा डिलीट करें।
3. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।

**कानपुरनगर वन प्रभागः—**

1. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है।
3. ऑनलाइन के क्रमांक—4(ii) में 113 बाधक वृक्षों को अपलोड किया गया है, किन्तु Additional Inforamtion Detail में 398 बाधक वृक्षों की सूची अपलोड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर सही बाधक वृक्षों की व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची सारांश सहित ऑनलाइन अपलोड करें।
4. ऑनलाइन अपलोड किये गये पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन में मंहगाई दर, मजदूरी दर गलत है तथा सेन्टेज चार्जे भी लिया गया है तथा दो प्राक्कलन अपलोड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड करें एवं त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलीट करें।
5. ऑनलाइन अपलोड किये गये एन0पी0वी0 की गणना में दर त्रुटिपूर्ण ली गयी है तथा दो एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड है। अतः इसे डिलीट कर सही दर के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड करें एवं त्रुटिपूर्ण गणना डिलीट करें।
6. अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।
7. प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति हिन्दी भाग—2 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।
8. ऑनलाइन के क्रमांक—4 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 1.9546 हे0 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। पूर्ण प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल 1.1391 हे0 अंकित है, जोकि भिन्न—भिन्न व त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल ऑनलाइन पार्ट—2 एवं अभिलेखों में अंकित कर अपलोड करें।
9. Additional Inforamtion Detail के क्रमांक—1, 8, 9, 13, 21, 22 एवं 29 में अपलोड अभिलेखों में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।
10. ऑनलाइन अपलोड किये गये पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।
11. ऑनलाइन अपलोड किये गये ई0डी0एस0 उत्तर में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट करें।

**मैनपुरी वन प्रभागः—**

1. ऑनलाइन अपलोड किये गये पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन में मंहगाई दर त्रुटिपूर्ण ली गयी है। अतः सही महंगाई दर के अनुसार संशोधित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड करें।
2. Additional Inforamtion Detail के क्रमांक—5 एवं 20 में अपलोड अभिलेख त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट करें।
3. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।

**उन्नाव वन प्रभागः—**

1. सोनभद्र वन प्रभाग में प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल एवं विवरण अपलोड नहीं है।
2. ऑनलाइन के क्रमांक—13(iii) में 9.6298 हे0 अवनत वनभूमि का Geo Referenced Digital Map अपलोड नहीं किया गया है। अतः पूर्ण Geo Referenced Digital Map अपलोड करें।
3. ऑनलाइन के क्रमांक—13(iv) में 9.6298 हे0 अवनत वनभूमि का SoI Toposheet अपलोड नहीं किया गया है। अतः शीर्षक एवं लीजेन्ड युक्त पूर्ण मैप अपलोड करें।

4. ऑनलाइन अपलोड किये गये याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित वनभूमि की मांग न्यूनतम है तथा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, का उल्लेख नहीं किया गया है।
5. ऑनलाइन अपलोड किये गये पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन में मंहगाई दर त्रुटिपूर्ण ली गयी है। अतः सही महंगाई दर के अनुसार संशोधित प्राक्कलन ऑनलाइन अपलोड करें।
6. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल ऑनलाइन अपलोड करें।

भवदीय,

(बी0 प्रभाकर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

**संख्या– 1888 /11–सी–FP/UP/Trans/21539/2016, दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–** निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज एवं मैनपुरी।
4. महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, लेवाना साइबर हाइट्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, ऑफिस स्पेस–116, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(बी0 प्रभाकर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।